



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर 302015)...

क्रमांक

एफ-50)कार्मिक/साप्र./ननिज/2022./1102 दिनांक:- 02/11/22

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2021 के द्वारा निर्धारित तालिका के अनुसार संबंधित कार्मिकों से प्रीमियम का अंशदान लेकर अन्तर राशि संबंधित निकाय के द्वारा मिलाकर इकजाई राशि 6100/-रु प्रतिवर्ष प्रति कार्मिक निर्धारित मद में जमा कराने का प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये जाने के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर के पत्रांक 9731 दिनांक 21.09.2021 एवं राजस्थान वित्त (बीमा) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 09.04.2021 की अनुपालना में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नगर निगम ग्रेटर जयपुर के 400 कार्मिक जिनका RGHS योजना में रजिस्ट्रेशन हो गया है कि संलग्न सूची अनुसार राशि 6100/- रूपये (अक्षरे रूपये छः हजार एक सौ मात्र) प्रति कार्मिक एक वर्ष हेतु अंशदान राशि रूपये 400X6100= 24,40,000 (अक्षरे रूपये चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राशि का भुगतान स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 25.09.2021 एवं दिनांक 11.02.2022 के अनुसार निर्धारित स्लेब के कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित दरो के अनुसार RGHS में रजिस्ट्रीकृत उपरोक्तानुसार कार्मिकों की संलग्न सूची में सम्मिलित कार्मिकों के वेतन बिल माह दिसम्बर 2022 से कटौती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(महेन्द्र सोनी)

आईएस

आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव महो०, वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार
3. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महो०, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
4. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना (RGHS) के अन्तर्गत निर्धारित दर 6100/-रु प्रति कार्मिक प्रतिवर्ष अनुसार नगर निगम ग्रेटर जयपुर के रजिस्ट्रीकृत 400 कार्मिक (सूची संलग्न) हेतु एक वर्ष के अंशदान की राशि 400X6100= 24,40,000 (अक्षरे रूपये चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) का भुगतान बजट मद 8342-00-120-(69) में किये जाने की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
10. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
11. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी कार्मिकों का RGHS में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
12. समस्त संस्थापन लिपिक (मु०)/जोन नगर निगम ग्रेटर जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है रजिस्ट्रीकृत कार्मिकों (संलग्न सूची अनुसार) उनके माह दिसम्बर 2022 के वेतन में से निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग के पत्र दिनांक 21.09.2021 में निर्धारित स्लेब के कॉलम संख्या 04 के अनुसार RGHS राशि की कटौती किया जाना सुनिश्चित करावे।
13. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
14. कर्मचारी ट्रेड यूनियन/मोटर गैराज/संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
15. प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
16. नोटिस बोर्ड चस्था
17. गार्ड फाईल

आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर